श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.) केम्प इन्दौर के समक्ष

R 2280-PBR/14

निगरानी प्रकरण क्रमांक .... / 2014
प्रस्तुति दिनांक 15--07--2014

संजय पिता छगनलालजी अग्रवाल
उम्र :– 51 वर्ष, धंधा :– व्यापार
निवासी :– बहादरपुर रोड, बुरहानपुर ... याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1. अरूण पिता चन्द्रमोहन
2. अजयकुमार पिता चन्द्रमोहन
3. दिलीप कुमार पिता चन्द्रमोहन
4. प्रफुल्ल कुमार पिता चन्द्रमोहन

सभी निवासी :– कसेरा बाजार, बुरहानपुर ... प्रत्यर्थीगण

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत

श्री हेमंत मुंगी अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 15-7-14 को इन्दौर केम्प पर प्रस्तुत।
15-7-14
17-7-14

माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय बुरहानपुर द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्र. 72–अ/13–14 (अरूण कुमार तथा अन्य विरूद्ध संजय) में पारित आदेश दिनांक 09–06–2014 द्वारा तहसीलदार बुरहानपुर के राजस्व प्रकरण क. 3/13–14 में पारित आदेश दिनांक 01–05–14 को निरस्त करते हुए प्रत्यर्थीगणों की अपील स्वीकार की जिससे असंतुष्ट एवं दुःखी होकर प्रार्थी द्वारा द्वितीय अपील माननीय अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग, इन्दौर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2280—PBR /2014 जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16—7—2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 23—6—2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का विधिक आदेश निरस्त कर इस आशय का पत्र थाना प्रभारी, लालबाग को लिखने मे अवैधानिकता की गई है कि उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 9—6—2014 के द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जा चुका है ओर प्रश्नाधीन भूमि में से कोई नेवहटी रास्ता नहीं है, अतः यदि आवेदक अनावेदकगण की भूमि में कोई कार्य करने में बाधा पहूँचाता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करे तथा आदेश का पालन कराया जाये,: क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वैधानिक प्रावधानों से हटकर उक्त निर्देश थाना प्रभारी को दिये गये है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है । कारण सुविधा संतुलन आवेदक के पक्ष में है, क्योंकि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण ग्राह्य किया गया है और यदि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी पत्र के पालन में आवेदक का रास्ता रोक दिया जाता है तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है । इस आधार पर कहा गया कि स्थगन के लिये उपरोक्त तीनों बातें उपलब्ध होने के पश्चात भी अपर आयुक्त द्वारा स्थगन नहीं देने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी ग्राह्य की	

R.2280 — DBR/14

जाकर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का कियान्वयन स्थगित किया जाये ।

2 अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 9–6–2014 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में प्रश्नाधीन रास्ता नक्शे में दर्शाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और तहसीलदार द्वारा दिनांक 1–5–2014 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता नक्शे में दर्शाये जाने का आदेश पारित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 9–6–2014 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 9–6–2014 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो कि अपर आयुक्त के यहां लंबित है । आवेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के कियान्वयन को स्थगित रखे जाने का अनुरोध किया गया है । चूँकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के प्रश्नाधीन तथा कथित रास्ता नक्शे में दर्शाये जाने संबंधी आदेश को निरस्त किया गया है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के कियान्वयन को स्थगित नहीं करने से आवेदक को अपूर्णीय क्षति होना परिलक्षित नहीं होता है । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के पत्र का प्रश्न है, प्रथमतः अनुविभागीय अधिकारी के पत्र को चुनौती नहीं दी गई है, द्वितीय उक्त पत्र विधिक आदेश न होकर प्रशासनिक स्वरूप का है । । इसके अतिरिक्त यदि प्रश्नार्धीन रास्ता मौके पर उपलब्ध है और अनावेदकगण द्वारा उसे बंद करने का प्रयास किया जाता है तब आवेदक संहिता की धारा 131 के

R.2280 — PBR/14 कुरहानपुर

अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष